छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 02 प्रकरण क्रमांक–**M-RECT-2023-01947**

आवेदक : श्रीमती पुष्पा यादव, पति–श्री भुवन लाल यादव, निवासी–वार्ड नं.–44, शिव मंदिर के पास, कसारीडीह, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री बालाजी बिल्डर्स, श्री जुगल किशोर तिवारी, निवासी–प्रथम तल, शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–खसरा नं.–95/43, न्यू आदर्श नगर, भिलाई' जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदिका द्वारा अभिभाषक के माध्यम से भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–39 के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2022-01659 में पारित आदेश दिनाँक 20/05/2022 में सुधार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2022-01659 में पारित आदेश दिनाँक 20/05/2022 के अनुसार 20,00,000/– (बीस लाख रूपये) के अतिरिक्त उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दस से 14 माह का 2,10,000/– (दो लाख दस हजार रूपये) मय ब्याज के साथ कुल राशि 22,10,000/– रूपये अनावेदक को अदा करने का आदेश दिया गया था। किंतु प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 20/05/2022 की कंडिका–8(2) में ब्याज की राशि 21,000/– (इक्कीस हजार रूपये) का उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, इस संबंध में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनाँक 20.05.2022 की कंडिका–8 (2) में ब्याज राशि को सुधार करने हेतु धारा–39 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दिनाँक 20/05/2022 को पारित अंतिम आदेश की कंडिका–8 (2) में भारतीय स्टेट बैंक की दिनाँक 10/05/2022 से प्रभावशील दरों के अनुसार देय ब्याज दर 7% + 2% = 9% प्रविष्टी करते हुए ब्याज राशि रूपये 2,10,000/– गणना की गई है, जो कि सही है। जबकि पारित आदेश की कंडिका–8(2) में उल्लेखित ब्याज राशि रूपये 2,10,00/– है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 02 प्रकरण क्रमांक–**M-RECT-2023-01947**

आवेदक : श्रीमती पुष्पा यादव, पति–श्री भुवन लाल यादव, निवासी–वार्ड नं.–44, शिव मंदिर के पास, कसारीडीह, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध श्री बालाजी बिल्डर्स, श्री जुगल किशोर तिवारी, निवासी–प्रथम तल, शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–खसरा नं.–95/43, न्यू आदर्श नगर, भिलाई' जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में आवेदक को सुना गया, प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2022-01659 में पारित आदेश दिनाँक 20/05/2022 का अध्ययन किया गया। टंकन त्रुटि परिलक्षित होती है। अधिनियम की धारा–39 के अधीन 2 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर सुधार किए जाने का प्रावधान है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2016 की धारा–39 के प्रावधानों के अंतर्गत कंडिका–08 में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी ब्याज राशि रूपये 21,000/– को सुधार करते हुये ब्याज राशि रूपये 2,10,000/– की हकदार है। प्रविष्टी संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रकरण में पारित आदेश दिनाँक 20/05/2022 की कंडिका–08 एवं 8(2)–लिपिकीय त्रुटिवश उल्लेखित ब्याज राशि 2,10,00/– को सुधारकर ब्याज राशि रूपये 2,10,000/– प्रविष्टी कर संशोधित आदेश की स्वच्छ प्रति आदेश में संलग्न करें। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	